न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–63/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. नसीब पुत्र दखला जाति मेव,
2. चन्दू पुत्र दखला जाति मेव,
3. सुफेदा पुत्र दखला जाति मेव,
4. सुभान पुत्र दखला जाति मेव,
5. बुद्धि पत्नि दखला जाति मेव,
6. सन्नू पुत्र गुटारी जाति मेव,
7. अमीन खां पुत्र सिताब जाति मेव,
8. अब्दुल गफुर पुत्र सिताब जाति मेव,
9. रूजदार पुत्र सिताब जाति मेव,
10. सम्मी खां पुत्र सिताब जाति मेव,
11. नवाब पुत्र सिताब जाति मेव,
12. लीला पुत्र गुटारी जाति मेव साकिन धोलीदूब तहसील अलवर जिला अलवर ।

.....अपीलांटान

बनाम

1. मोलादीन पुत्र नत्थू जाति फकीर,
2. ईसब पुत्र नत्थू जाति फकीर,
3. शेर मोहम्मद पुत्र नत्थू जाति फकीर निवासी धोलीदूब तहसील अलवर ।

..... वादीगण / रेस्पो0

4. अशरफ पुत्र इमामशः जाति फकीर,
5. मुशरफ पुत्र इमामशः जाति फकीर,
6. भूरे खां पुत्र इमामशः,
7. इसराईल पुत्र अलादीन जाति फकीर,
8. सत्तार पुत्र अलादीन जाति फकीर,
9. अरसद पुत्र अलादीन जाति फकीर,
10. आरिफ पुत्र अलादीन जाति फकीर,
11. अलादी पत्नि अलादीन जाति फकीर,
12. जहीर पुत्र कल्लू जाति फकीर,
13. ताहिर पुत्र कल्लू जाति फकीर,
14. रूजदार पुत्र सलादीन जाति फकीर,
15. सिरदार पुत्र सलादीन जाति फकीर,

2/17

16. मेहरूनी पत्नि सलादीन जाति फकीर,
17. साबर पुत्र शरीफ जाति फकीर,
18. रफीक पुत्र शरीफ जाति फकीर,
19. बल्ली पुत्र शरीफ जाति फकीर,
20. तारीफ पुत्र शरीफ जाति फकीर,
21. मुब्बा पुत्र शरीफ जाति फकीर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 जुम्मी माताखुद,
22. रसीद पुत्र शरीफ जाति फकीर नाबालिग बसरपरस्ती मु0 जुम्मी माताखुद,
23. जुम्मी पत्नि शरीफ जाति फकीर निवासी ग्राम धोलीदूब तहसील अलवर जिला अलवर ।

..... तरतीबी प्रति0/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री अजीत प्रकाश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश यादव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 23

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 193 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में नये नम्बर 244 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व सम्वत् 2051 में बने नये नम्बर 339 रकबा 29 ऐयर, 343 रकबा 23 ऐयर, 344 रकबा 0.01 ऐयर वाके ग्राम धोलीदूब कायम किये । उक्त आराजी का खातेदार वादीगण का पड़दादा सम्मू मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2016 था । प्रतिवादीगण असल का या उनके पिता गुटारी का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं था, ना ही उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है । प्रतिवादीगण असल के पिता गुटारी का नाम भी गलत तरीके से सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में उप कृषक दर्ज कर दिया जो भी गलत था जबकि खातेदारी सम्मू फकीर की दर्ज है । उक्त गलत अंकन अपने नाम का इन्द्राज करा लिया तथा सम्वत् 2051 के बन्दोबस्त में गुटारी के पुत्रान प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 के पिता तथा 5 के पौते 6, 7, 8 का नाम गलत तौर से उसके इन्तकाल के आधार पर दर्ज हो गया । प्रतिवादीगण को इस इन्द्राज को हटवाने की बाबत कहते रहे किन्तु प्रविवादीगण ने दुरूस्ती नहीं करायी । प्रतिवादी 1 ल0 4 के पिता, 5 के पति 6, 7, 8 का व उनके पिता का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा तथा और ना ही उनका आराजी से कोई ताल्लुक था । अतः दावा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें तथा उन्हें पाबन्द किया जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादी ने उपस्थित होने के बाद जवाब दावा पेश नहीं किया और अनुपस्थित हो गये । इसलिए उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुए विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 06.05.2015 को वादीगण का वाद डिक्री कर

27/3

दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करते हुए कानूनी बिन्दुओं का भी अवलोकन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध दावा डिक्री हुआ है । अपीलांट की तलबी के बाद उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित थे । हमारे अभिभाषक का कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी बुला लेगें । इसलिए हम अपीलांट/प्रतिवादी मुगालते में रहें और अदालत में नहीं आने से हमारे विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो गयी तथा वाद वादी डिक्री कर दिया । अपीलांट अभिभाषक का अपील बहस में मुख्य तर्क यह है कि अभिभाषक की गलती की सजा पक्षकार को नहीं मिलनी चाहिए । न्यायालय को निर्णय में फाईडिंग देनी चाहिए कि उनका वाद कैसे डिक्री हुआ है । जानकारी मिलते ही हमने धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अपील पेश की है ।

अपील बहस में वाद के तथ्यों को बताया और कहा कि साबिक ख0 नं0 193 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में नये नम्बर 244 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व सम्वत् 2051 में बने नये नम्बर 339 रकबा 29 ऐयर, 343 रकबा 23 ऐयर, 344 रकबा 0.01 ऐयर वाके ग्राम धोलीदूब कायम किये गये । वादी ने दावा यह कहकर किया है कि विवादित आराजी पहले सम्मू के नाम से है जो वादीगण का दादा बताते हैं और अपने आपको वारिस बताते हैं । वक्त दावा दायरी प्रतिवादीगण रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं जबकि रेस्पो0/वादी विवादित आराजी के सम्मू की खातेदारी के आधार पर वाद लेकर आये हैं । अपीलांट/प्रतिवादीगण दल खां के वारिस हैं । गुटारी के वारिस है । गुटारी सम्वत् 2012 के पूर्व से ही उक्त आराजी पर काबिज था । उसके बाद उसके वारिसान के नाम पट्टा जारी हुआ । खातेदारी मिली तभी से कब्जे काश्त में हैं तथा मौके पर आज भी काबिज हैं ।

जमाबन्दी सम्वत् 2016 का हवाला देते हुए अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि सम्मू मुन्दर्जे खातेदार तथा काश्त गुटारी वल्द मौदा मेव सा0देह उपकृषक साल 5 दर्ज है । गुटारी अपीलांट का दादा है । रेकार्ड में सम्मू दर्ज है और ये समसू बताकर अपना अधिकार कर रहे हैं । रेस्पो0/वादी अपने आपको सम्मू के वारिस बताते हैं जबकि ये मूसा के वारिस हैं । अपीलांट ने वादी के सजरे का हवाला दिया और कहा कि सम्मू का पुत्र नत्थू है तथा ये नत्थू के वारिसान है । इसके लिए अपीलांट का कहना है कि उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2063 पेश की है । उसके खाता सं0 140 के ख0 नं0 27, 28, 29, 30, 37 में नत्थू पुत्र मूसा फकीर अंकित है । नत्थू, सम्मू का पुत्र नहीं है । ये इतने दिनों से कहां थे । आज कहां से आये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर केस को देखा ही नहीं । इसमें साक्ष्य की आवश्यकता है । तथ्यों को छुपाकर दावा किया है । अतः अपील स्वीकार की जावें और उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । कब्जा हमारा आज भी है । उन्होंने अपने समर्थन में 1981 ए.आई.आर. पेज 1400 व 509 प्रस्तुत की ।

2/2/17

बहस जवाब में रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि सबसे पहले बहस जवाब एक पक्षीय कार्यवाही के संबंध में है । सन् 2011 में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/रेस्पो0 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए थे । इन्होंने श्री टीकचन्द जी को अभिभाषक नियुक्त किया था । मेरा ये भी कहना है कि श्री मुनीराम जी को भी इन्होंने अभिभाषक नियुक्त किया था । ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा इनका वकालतनामा पत्रावली पर है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 1.6.2011 को पढ़े । अधिवक्ता श्री मुनीराम ने वकालतनामा पेश किया । दिनांक 2.12.2014 की आदेशिका को पढ़े– बार–बार आवाज दिलायी गयी कोई उपस्थित नहीं हुए । अतः एक्सपार्टी की जाती है । सी.पी.सी. के नियमों के तहत 90 दिवस में जवाब पेश करना होता है । तीन वर्ष तक कोई जवाब पेश नहीं किया । अतः जवाब बन्द किया गया और एक्सपार्टी किया गया ।

बहस जवाब में आगे कहा कि हम रेस्पो0/वादीगण जाति से फकीर हैं जबकि अपीलांट/प्रतिवादी जाति से मेव हैं । हम दोनों की जाति में फर्क है । ये मेव और हम फकीर । बहस में आगे कहा कि मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन की नकल मुझे नहीं दी, पहले कानूनी बिन्दू तय होना चाहिए कि क्या मियाद के बिन्दु पर अपील स्वीकार योग्य है या नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.5.2015 का है और अपील 22.8.2016 को पेश की है । अतः इस डिले के आधार पर अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है । धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई पर्याप्त कारण नहीं हैं ।

बहस जवाब में दावे के तथ्यों को दोहराया और कहा कि जमाबन्दी सम्वत् 2016 का अवलोकन करें । वादीगण/रेस्पो0 सभी जगह सम्मू के होकर आये हैं । हम मूसा के वारिसान है, स्वीकार करते हैं परन्तु यदि ये कान्टेस्ट करते हो, हम रेस्पो0 उसका भी जवाब देते । सम्मू या समसू के संबंध में आगे बहस जवाब में कहना है कि ये मूसा के चाचा, ताउ का लड़का है । सम्मू के कोई संतान नहीं थी तथा सम्मू लाऔलाद फौत हो गया । मूसा, सम्मू का भाई था और हम मूसा के वारिसान हैं जो सम्मू की आराजी पर हम वारिसान का ही प्रथम अधिकार होगा । हम सम्मू के तृतीय श्रेणी के वारिसान हैं । सम्मू और मूसा जाति से फकीर हैं । अपीलांट जाति से मेव हैं । अपीलांट को यह बताना पड़ेगा कि फकीर की जमीन मेव को किस आधार पर आयेगी । क्या दावा किया था या विरासतन आयेगी । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा क्लीन हैण्ड से पेश किया है । सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में सम्मू की खातेदारी में गुटारी का नाम गलत दर्ज कर दिया । वह केवल उपकृषक की हैसियत से दर्ज किया है । बन्दोबस्त ने गलत रूप से उसे गैर खातेदार दर्ज कर दिया ।

इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने निम्न कानूनी नजीरों का हवाला दिया – आर. आर.टी. 2008 पेज 151 जिसमें बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, आर.एल.डब्ल्यू. 2001 पेज 600 जिसमें बन्दोबस्त को इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है । आर.एल.डब्ल्यू. 1962 पेज 406 पेश कर कहा कि यदि किसी को उप कृषक के रूप में रेकार्ड में दर्ज कर दिया तो उसे कोई अधिकार नहीं है और इस केस में यहीं हुआ है । आर.एल.डब्ल्यू. 1990 पेज 184 का उद्रण देकर बताया कि उपकृषक को कोई अधिकार नहीं होता है ।

सम्वत् 2016 की जमाबन्दी में यदि गुटारी ने अपने आपको उपकृषक दर्ज करवा लिया तो क्या उसे खातेदारी अधिकार मिल पायेगें ।

बहस जवाब में आगे कहा कि वादीगण ने तो अपने वाद के जरिये बन्दोबस्त के इन्द्रजों को चैलेन्ज किया है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2016 में उपकृषक के रूप में दर्ज इन्द्राज को भी चुनौती देता हूं । आगे कहा कि वादीगण अनपढ़ फकीर जाति से हैं और जानकारी होते ही दावा पेश किया है । अपीलांट के इस तर्क को नकारा कि यह जमीन कस्टोडियन की तथा पट्टे पर अपीलांट को प्राप्त हुई है । कोई भी रेकार्ड पेश नहीं किया कि सम्मू पाकिस्तान चला गया और जमीन कस्टोडियन हो गयी । सम्वत् 2016 की जमाबन्दी से वादी का दावा पूर्णतया सिद्ध है । मौके पर कब्जा काश्त रेस्पो0/वादीगण की है । यह अपील एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि तहत न्यायालय में अपीलांट उपस्थित थे । इन्होंने जानबूझकर जवाब पेश नहीं किया । अतः निर्णय की जानकारी होते हुए भी देरी से अपील पेश की है । अतः इस आधार पर भी अपील खारिजी योग्य है । मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 5 के संबंध में कानूनी नजीरों का हवाला दिया और अन्त में कहा कि फकीर की आराजी से मेवों का कोई लेना देना नहीं है । अतः अपील खारिज की जावें ।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब उल जवाब में कहा कि सजरा में कहीं भी सम्मू और मूसा को भाई नहीं बताया है । सम्मू का लड़का नत्थू है । दावे के पैरा में कहीं भी ये नहीं बताया कि सम्मू का नत्थू से कोई भतीजा है । नत्थू के पिता मूसा ही है । सम्वत् 2011 से ही अपीलांट के दादा गुटारी उपकृषक दर्ज था । सम्वत् 2016 में भी उपकृषक दर्ज था । हमें इसी साक्ष्य को सिद्ध करना है कि सही क्या है । अतः हमें मौका दिया जाना चाहिए । प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यही कहता है कि हमें सुनवाई का मौका दिया जावें । अतः सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावें तथा प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर निर्णय हो ।

उपरोक्त बहस विवेचन एवं कानूनी दृष्टान्तों के मध्य नजर अपीलांट की अपील के निस्तारण के निम्न बिन्दु प्रमुख है –

1. क्या तहत न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को अब गुणावगुण अपास्त किया जाना उचित है ।
2. क्या अपील में डिले कन्डोन किये जाने योग्य है ।
3. क्या साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2016 के आधार पर वादीगण को सही खातेदारी प्रदान की गयी है ।

प्रथम बिन्दु निस्तारण के लिए हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पाया कि रेस्पो0/वादीगण के अधिवक्ता की बहस के अनुसार पाया कि प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से न्यायालय में अभिभाषक जरिये वकालतनामा पेश हुए हैं । दिनांक 1.6.2011 को जरिये वकालतनामा प्रतिवादी/अपीलांट उपस्थित अदालत थे तथा दि0 2.12.2014 को इनके विरूद्ध उपस्थित नहीं होने पर एक्सपार्टी की गयी और जवाब पेश नहीं होने पर जवाब भी बन्द किया गया तथा आगे वादी साक्ष्य व बहस उपरान्त दावा वादी डिक्री किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक ने इस संबंध में कानूनी नजीर ए.आई.आर.1981 रफीक व अन्य बनाम मुंशीलाल का उद्धरण पेश किया । इस कानूनी नजीर में दोराने दावा उपस्थित होने

4/2/17

हेतु प्रार्थना पेश किया, उसे निरस्त करन पर पुनः सुनवाई में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया और माना कि ऐसी स्थिति में पक्षकार को नुकसान नहीं होना चाहिए ।

परन्तु इस प्रकरण में तो ऐसा नहीं है । यहां तो रेस्पो0 अपीलांट ने तहत न्यायालय में जवाब भी ढाई साल तक पेश नहीं किया और एक्सपार्टी होने पर पुनः उपस्थित नहीं हुए बल्कि तहत न्यायालय के निर्णय के लगभग 15 माह बाद अपील पेश की है । अतः उक्त उद्धरण इस प्रकरण पर पूर्ण चस्पा नहीं होता है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व विवेचन के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जिसमें यह कानूनी बिन्दू भी है कि उपकृषक को क्या खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं । यह आराजी सम्मू फकीर की है तथा अपीलांट जाति से मेव हैं । अतः अपीलांट को विरासत यह जमीन प्राप्त नहीं हो सकती है । अपीलांट द्वारा यह जमीन पट्टे पर प्राप्त की या खातेदारी की घोषणा से प्राप्त की । ऐसा भी नहीं है तो किस आधार पर अपीलांट/प्रतिवादी ने खातेदारी प्राप्त की है । सम्वत् 2020 की जमाबन्दी में अपीलांट को गैर खातेदार के रूप में बन्दोबस्त ने रेकार्ड अंकन किया, जो कानूनी नजीरों के सन्दर्भ में कानून सम्मत नहीं है और उससे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

जहां तक वादीगण की खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न है । अपने सजरे के आधार पर तथा सम्मू जाति से फकीर होने तथा वादीगण भी जाति से फकीर होने के आधार पर विरासतन अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है, के आधार पर तहत न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई कमी नहीं पाते हैं । अतः अपील में अपीलांट किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ।

क्या डिले कन्डोन की जा सकती है – मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर भी अवलोकन करें तो अपील में देरीना के जो कारण बताये हैं वे उचित दिन प्रतिदिन के आधार पर भी नहीं बताये हैं ।

बिन्दू सं0 3 के संबंध में जो विवेचन बिन्दु सं0 1 में किय गया है उसके अनुसार सम्वत् 2020 की जमाबन्दी में गुटारी को जो खातेदार के रूप में बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज किया गया है । अपील में भी ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी कस्टोडियन है या अपीलांट को आवंटन हुई है । इसलिए ये इन्द्राज बन्दोबस्त के इन्द्राज हैं जो काबिले दुरूस्ती के हैं । तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 06.05.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/3/18

(कमलेराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर